Dr. B.R. Ambedkar University of Social Sciences

(State University, Government of M.P.)
Dr. Ambedkar Nagar (Mhow) – 453441, Indore (M.P.), India
Phone : (07324) 274377, Fax : (07324) 272350

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय

(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश शासन)

सामान्य निर्देश

विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक / /2025 को जारी विजिटिंग फेकल्टी के विज्ञापन हेतु सामान्य निर्देश :–

1. विजिटिंग फेकल्टी के रूप में कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मानदण्ड एवं मानदेय निम्नानुसार रहेगा।

क्र.	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मानदण्ड	निर्धारित मानदेय
i	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर के साथ पीएच.डी. एवं नेट/सेट	प्रति कालांश रू. 800/– (अधिकतम रू. 25,000/– प्रतिमाह मानदेय)
ii	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर के साथपीएच.डी. अथवा नेट/सेट	
iii	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर	प्रति कालांश रू. 400/– (अधिकतम रू. 25,000/– प्रतिमाह मानदेय)

विजिटिंग फेकल्टी (क्रीड़ा अधिकारी) के रूप में कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मानदण्ड एवं मानदेय निम्नानुसार रहेगा।

क्र.	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मानदण्ड	निर्धारित मानदेय
i	खेल/शारीरिक शिक्षा शिक्षक (PET) में स्नातकोत्तर के साथ पीएच.डी. एवं नेट/सेट	प्रति कालांश रू. 800/– (अधिकतम रू. 25,000/– प्रतिमाह मानदेय)
ii	खेल/शारीरिक शिक्षा शिक्षक (PET) में स्नातकोत्तर के साथपीएच.डी. अथवा नेट/सेट	
iii	खेल/शारीरिक शिक्षा शिक्षक (PET) में स्नातकोत्तर	प्रति कालांश रू. 400/– (अधिकतम रू. 25,000/– प्रतिमाह मानदेय)

टीप :–i एवं ii में आवेदक अनुपलब्ध/असमर्थ होने पर ही iii को आमंत्रित हेतु विचार किया जावेगा।

2. प्रत्येक कालांश अवधि एक घंटे होगी।
3. विजिटिंग फेकल्टी किसी भी स्तर से विश्वविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे।
4. विजिटिंग फेकल्टी का आमंत्रण कुलगुरू के अनुमोदन उपरान्त शैक्षणिक सत्र/पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक अथवा आवश्यकता रहने तक अवधि के लिए कुलसचिव द्वारा दिया जाएगा।

5. विजिटिंग फेकल्टी के आमंत्रण के समय इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि उनके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इसके लिए विजिटिंग विद्वान को सादे कागज पर इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

6. किसी भी स्थिति में नियमित शैक्षणिक पद भरे जाने पर पदस्थापना या नवीन नियुक्ति से पदस्थापना के कारण विजिटिंग फेकल्टी को कार्यरत नहीं रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त कार्य आरचण ठीक ना होने एवं कार्य संतोषजनक नही होने पर कार्यरत नही रखा जाएगा।

7. **अनुभव हेतु अंक** :– विजिटिंग फेकल्टी को वरीयता देने के लिए उनके द्वारा आवेदन के समय दर्ज एवं सत्यापित अनुभव के किये गये अध्यापन कार्य के लिए देय अधिभार अंको को जोड़कर गणना में लिया जाएगा। ये अंक आवेदक विजिटिंग फेकल्टी द्वारा आवेदन के समय आवेदन में दर्ज किये जाएंगे, जिन्हें असत्य पाए जाने पर कार्यारंभ नहीं कराया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि विभाग प्रमुख द्वारा प्रदाय अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार कार्य दिवसों को ही अनुभव के लिए जोड़ा जाएगा। यह और भी स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय विश्वविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय में किए गए शिक्षण कार्य के अनुभव को ही अधिभार के रूप में शामिल किया जाएगा। यह अधिभार अधिकतम 05 वर्ष के अनुभव के लिए 20 अंक तक होगा। एक अकादमिक सत्र में 151 से 220 या 220 से अधिक कालखण्ड के मध्य चार अंक एवं 151–100 कालखण्ड के मध्य तीन अंक 51 – 100 कालखण्ड के मध्य दो अंक एवं 50 एवं उससे कम कालखण्ड होने पर एक अंक दिया जाएगा।

8. समस्त श्रेणियों के आमंत्रण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को (क्रीमी लेयर छोडकर) शासन के दिशा निर्देश के अनुरूप स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा। इसीं प्रकार निःशक्तजन अभ्यर्थियों को भी स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार दिया जाएगा।

9. मेरिट अंको की गणना :– स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत में से 50 घटाया जाएगा तथा अधिभार जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक ने स्नातकोत्तर में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए है. अनुसूचित जाति का है निःशक्तजन भी है एवं 5 वर्ष का अनुभव है, तो उसके मेरिट अंक निम्नानुसार होगे स्नातकोत्तर–25 अंक, अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए अधिकार 7.5, निःशक्तजन के लिए अधिकार 75. अनुभव का अधिभार–20 कुल मेरिट अंक 60.

10. **वरीयता का निर्धारण** :– सर्वप्रथम बिन्दु 8 के अनुसार चयन श्रेणी की वरीयता मान्य होगी अर्थात श्रेणी 1 के विजिटिंग फेकल्टी को सर्वोच्च वरीयता होगी। श्रेणी तथा मेरिट अंक समान होने पर अधिक आयु वाले विजिटिंग फेकल्टी को वरीयता दी जाएगी।

11. विजिटिंग फेकल्टी का मानदेय कालखण्ड के अनुसार भुगतान हेतु विभागाध्यक्ष मासिक अनुसार मानदेय भुगतान की कार्यवाही डीन के माध्यम से कुलसचिव को प्रस्तावित करेंगें।

12. विजिटिंग फेकल्टी की उपस्थिति संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा संधारित रहेगी।

13. विजिटिंग फेकल्टी को सतत अनुशासन बनाए रखना होगा तथा अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

14. विजिटिंग फेकल्टी प्रत्येक माह पठन–पाठन कार्य का फिडबेक संबंधित विद्यार्थियों से प्राप्त कर विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगें। फिडबेक फार्म शैक्षणिक विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा।

15. विभागाध्यक्ष अध्ययनशाला में आमंत्रित विजिटिंग फेकल्टी के अध्यापन कार्य संबंधी समस्त रिकार्ड अपने अधीन संधारित रखेंगे ताकि इसके मूल्यांकन का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सके एवं भविष्य में विजिटिंग फेकल्टी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र चाहे जाने पर विभागाध्यक्ष और डीन के अनुमोदन पश्चात कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक विभाग) द्वारा जारी किया जाएगा।

16. विजिटिंग फेकल्टी की परीक्षा कार्यो में ड्यूटी लगाई जा सकती है, जिस हेतु पृथक से नियमानुसार मानदेय दिया जाएगा।

17. कक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता तथा बिना पूर्व स्वीकृति के कोई गैर शैक्षणिक कार्यक्रम आदि करने की अनुमति नही है। विश्वविद्यालय की गरिमा बनाए रखना एवं प्रशासन के निर्देशो का पालन अनिवार्य रूप से करेगें।

18. आवश्यकतानुसार इन निर्देशों की व्याख्या का अंतिम अधिकार कुलगुरू, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) म.प्र. का होगा।

कुलसचिव